न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः— 27/2022

1. द्वारिका प्रसाद पुत्र बनय सिंह जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर। ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन।

.............प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट वादी

दिनांकः—10.04.2026

निर्णय

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 860/0.60 बाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में वादी 1/5 हिस्से का खातेदार कास्तकार हूँ तथा उक्त आराजी पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा हूँ। मुझ वादी के आधार कार्ड एवं समस्त पहचान दस्ताबेजात में मुझ वादी का नाम द्वारिका प्रसाद है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मेरा नाम कल्ला पुत्र बनयसिंह दर्ज कर दिया है क्योंकि गांव में आम बोलचाल की भाषा में मुझ वादी को कल्ला कहते है जबकि सभी दस्ताबेजात मे मेरा नाम द्वारिका प्रसाद दर्ज है तथा उक्त दोनों नाम मुझ वादी के है। वादी अपनी उक्त खातेदारी की आराजी को बैंक में रहन रख उक्त आराजी पर कृषि सुधार हेतु लोन लेना चाहता था तथा जब दिनांक 24.11. 2022 को बैंक मैनेजर के पास पहुँचा तो उनके द्वारा जमाबंदी में नाम शुद्ध करवाने हेतु कहा गया। जब वादी पहचान दस्ताबेजों के आधार पर अपना नाम शुद्ध कराने हेतु तहसीलदार उच्चैन के पास गया तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा जिसके कारण वादी ने उक्त वाद पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारिका प्रसाद/कल्ला एक ही व्यक्ति है, जिसे गॉव में कल्ला नाम से बोला जाता है जबकि वास्तिविक दस्तोज यथा आधार कार्ड आदि में वादी का वास्तविक नाम द्वारिकाप्रसाद दर्ज है। जमाबंदी सम्बत् 2075—78 में द्वारिकाप्रसाद के स्थान पर कल्ला दर्ज है जो उस समय चढाये गये नामांतरकरण के अनुसार है। वाद पत्र के समर्थन में स्वंम वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी के द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी में वादी 1/5 हिस्से का

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

खातेदार कास्तकार है तथा उक्त आराजी पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। वादी के आधार कार्ड एवं समस्त पहचान दस्तावेजात में वास्तविक नाम द्वारिका प्रसाद दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मेरा नाम कल्ला पुत्र बनयसिंह दर्ज कर दिया है क्योंकि गांव में आम बोलचाल की भाषा में मुझ वादी को कल्ला कहते है जबकि सभी दस्तावेजात मे मेरा नाम द्वारिका प्रसाद दर्ज है जमाबंदी एवं पहचान दस्तावेजों में अलग–अलग नाम दर्ज होने के कारण वादी को अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम होना पड रहा है। जबकि द्वारिका प्रसाद एवं कल्ला एक ही व्यक्ति के नाम है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का सही नाम द्वारिका प्रसाद दर्ज किया जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–78 पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं जबाव के साथ संलग्न पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट ग्राम मुढेरा दिनांक 07.04.2025 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा अपने जबाव में द्वारिकाप्रसाद एवं कल्ला एक ही व्यक्ति के नाम होना अंकित किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत सभी पहचान दस्तावेजों में वादी का नाम द्वारिकाप्रसाद दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में कल्ला के स्थान पर द्वारिकाप्रसाद दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

वादपत्र वादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी (मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2075–78) खसरा नम्बर 860/0.60 वाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदार वादी के अशुद्ध नाम कल्ला पुत्र बनयसिंह को कलमजन कर उसके स्थान पर शुद्ध नाम द्वारिकाप्रसाद उर्फ कल्ला पुत्र बनयसिंह दर्ज रिकार्ड किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन

व इजलास श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (R.A.S.)

ओंकार प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत् धारा 88, 89 RTA

मुकदमा नं. 27/2022 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हजूर

व हाजरी श्री धर्मेन्द्र चौधरी एड० मिनजानिब ....

.... मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वाद पत्र वादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी (मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075-78) ख० नं० 860/0.60 बीके ग्राम कुठेरा तहसील उच्चैन की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदार वादी के अशुद्ध नाम कान्हा बलवीरसिंह को कलमजद कर उसके स्थान पर शुद्ध नाम ओंकारप्रसाद उर्फ कान्हा पुत्र बलवीरसिंह दर्ज रिकार्ड किया जावे।

आज.............. मुबलिग.............. बाबत्..............

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक.............. का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 04 वर्ष 2026

को जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर..........		
महनताना वकील)पर..........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः– 27/2022

1. द्वारिका प्रसाद पुत्र बनय सिंह जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर। ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन। ....प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)